RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक १३] मंगळवार, जून २६, २०१८/आषाढ ५, शके १९४० [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

जनजाति विकास विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २४ जून २०१८।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XVII OF 2018.

AN ORDINANCE
TO AMEND THE MAHARASHTRA SCHEDULED CASTE, SCHEDULED TRIBES, DE-NOTIFIED TRIBES (VIMUKTA JATIS), NOMADIC TRIBES, OTHER BACKWARD CLASSES AND SPECIAL BACKWARD CATEGORY (REGULATION OF ISSUANCE AND VERIFICATION OF) CASTE CERTIFICATE ACT, 2000.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७ सन् २०१८।

महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछडे प्रवर्गों के जाति प्रमाणपत्र (जारी करने और सत्यापन करने का विनियमन) अधिनियम, २००० में संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों के जाति प्रमाणपत्र (जारी करने और सत्यापन करने का विनियमन) अधिनियम, २००० में संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ; सन् २००१ का २३।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों के जाति प्रमाणपत्र (जारी करने और सत्यापन करने का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१८ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् २००१ का महा. २३ में नई धारा ४क की निविष्टि।

२. महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़े प्रवर्गों के जाति प्रमाणपत्र (जारी करने और सत्यापन करने का विनियमन) अधिनियम, २००० की धारा ४ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २००१ का महा २१।

अकादमिक वर्ष २०१८-२०१९ के लिये कतिपय वृत्तिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अस्थायी उपबंध।

" **४क.** (१) इस धारा के उपबंध, अकादमिक वर्ष २०१८-२०१९ के लिये वृत्तिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश के संबंध में लागू होंगे।

(२) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जाति प्रमाणपत्र धारण करनेवाला व्यक्ति, जिसने या जिसकी ओर से शैक्षणिक संस्था द्वारा, जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन और वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये आवेदन किया गया हैं और वह संविक्षा समिति के समक्ष लंबित हैं, वह, निम्न शर्तों के अध्यधीन, जाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया में सहभागी होने के लिये पात्र होगा, अर्थात् :—

(एक) वह, संवीक्षा समिति को वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये किये गये आवेदन का या संवीक्षा समिति को उसकी ओर से किये गये ऐसे आवेदन का सबूत प्रस्तुत करेगा।

(दो) वह, प्रवेश प्राधिकरण को उसका वैधता प्रमाणपत्र, राज्य सरकार के साथ परामर्श में, प्रवेश विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जा सके ऐसे दिनांक को या के पूर्व, प्रस्तुत करेगा :

परंतु, खण्ड (दो) में निर्दिष्ट दिनांक, अकादमिक वर्ष २०१८-२०१९ के लिये, संबंधित वृत्तिक पाठ्यक्रम को प्रवेश के संबंध में प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के दिनांक से पूर्व होगा।

(३) उप-धारा (२) के अधीन, प्रवेश विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे दिनांक को या के पूर्व वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होने पर, आरक्षित सीट पर सुरक्षित किया गया प्रारंभिक प्रवेश यदि कोई हो, रद्द किया समझा जायेगा।

(४) उप-धारा (३) की कोई बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसरण में, वृत्तिक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिये, खुले वर्ग से, ऐसे व्यक्ति को पात्र समझने के लिये सुसंगत प्राधिकरण को रोकने का आशय नहीं लगायेगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिये,

(एक) " प्रवेश प्रक्रिया " का तात्पर्य, वृत्तिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया से हैं ;

(दो) " वृत्तिक पाठ्यक्रम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र असहायताप्राप्त वृत्तिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश तथा फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वृत्तिक पाठ्यक्रमों के रुप में अधिसूचित शैक्षणिक अभ्यासक्रम से हैं ; सन् २०१५ का महा. २८।

(तीन) " प्रवेश विनियामक प्राधिकरण " का तात्पर्य, सन् २०१५ के उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण, से हैं।"।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछडे प्रवर्गों के जाति प्रमाणपत्र (जारी करने और सत्यापन करने का विनियमन) अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. २३) यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों (संक्षिप्तत: " आरक्षित प्रवर्ग ") के व्यक्तियों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने और सत्यापन करने का विनियमन करने और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (२) यह उपबंध करती है कि, आरक्षित प्रवर्ग के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी से उसके द्वारा प्राप्त जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन और वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये संवीक्षा समिति को आवेदन करेगी।

२. राज्य में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया नजदीक भविष्य में जल्द ही पूरी होने की संभावना है। राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि या तो जिन्हें जाति प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ हैं ऐसे छात्रों द्वारा दायर किये गये सत्यापन और वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये कार्यवाही या जिनकी ओर से संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संबंधित संवीक्षा समिति को दायर किये गये सत्यापन और वैधता प्रमाणपत्र देने के लिये आवेदन बड़े पैमाने पर प्रलंबित है। राज्य सरकार के यह भी ध्यान में लाया गया है कि, इसके परिणामस्वरूप, बड़े पैमाने पर छात्र, जिन्होंने दावा किये गये जाति पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम को प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

३. इसलिए, संवीक्षा समिति को वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये आवेदन करने का सबूत के प्रस्तुति के आधार पर ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिये छात्रों को अनुमति देने की दृष्टि से, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों के जाति प्रमाणपत्र (जारी करने और सत्यापन करने का विनियमन) अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. २३) में अस्थायी रुप से तत्काल संशोधन करना इष्टकर समझा गया है। यह भी उपबंध करना इष्टकर समझा गया है कि, यदि ऐसा छात्र प्रवेश विनियम प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए असफल होता है, तो ऐसे छात्र द्वारा यदि कोई हो, आरक्षित प्रवर्ग से सुनिश्चित किया गया प्रारंभिक प्रवेश रद्द हुआ समझा जायेगा। प्रस्तावित प्रावधान का प्रचालन केवल अकादमिक वर्ष २०१८-२०१९ के लिये प्रतिबंधित करने का प्रस्तावित है।

४. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों के जाति प्रमाणपत्र (जारी करने और सत्यापन करने का विनियमन) अधिनियम, २००० (सन् २००१ का महा. २३) में संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,
दिनांकित २३ जून २०१८।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनिषा वर्मा,
शासन के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.